प्रेस नोट - कार्यालय पुलिस अधीक्षक- जनपद महराजगंज

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण-दिनांक 25-08-2024

1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *231* वाहनों का चालान किया गया।

2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- *34* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएस मे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

3. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरुक।

4. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।
जनपदीय पुलिस द्वारा 34 एक्ट मे *00* व्यक्तियों के विरूद्ध व 110 जी मे *20* व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

5. पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद मे शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरूओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।

6 . विवेचनाओं का निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- *22* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

7 जनपद के थानों द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

*थाना घुघली द्वारा की गयी कार्यवाही-*1. अभियुक्तगण 1. आरव पटेल पुत्र प्रमोद पटेल 2. त्रिभुवन पटेल पुत्र राधेश्याम पटेल निवासीगण हरखपुरा थाना घुघली जनपद महराजगंज 3. अर्पित पटेल पुत्र शैलेश पटेल 4. शैलेश पटेल पुत्र स्व. रामनारायण निवासीगण बरवा सोनिया थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक, भौतिक व बुनियादी लाभ प्राप्त करने के लिए फर्जी कम्पनी के नाम से कूटरचित प्रपत्रो दस्तावेज तैयार कर जनता के भोले

भाले लोगो को शेयर मार्केट में अधिक लाभ(ब्याज) दिलाने के नाम पर लाखो रूपये प्राप्त करना थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 330/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गया।

थाना निचलौल द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त जितेन्द्र चौहान पुत्र रामनाथ निवासी डोमाखास (कोठी टोला)थाना निचलौल के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 428/24 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

2. अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र भभूति निवासी धमऊर थाना निचलौल के कब्जे से 20 अदद अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 429/2024 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना पुरन्दरपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-* 1. अभियुक्ता कुसुमावती पत्नी स्व. श्यामू ग्राम सेमरहनी चन्दनपुर थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 231/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

2. अभियुक्ता प्रमिला पत्नी भगहू निवासी सूरपार टांगया सेमरहनी थाना पुरन्दरपुर के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 232/2024 धारा 60(1)आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

3. अभियुक्ता रीता मद्धेशिया पुत्री सागर मद्धेशिया निवासी कोट कम्हरिया थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज के कब्जे से 25 अदद देशी शराब बन्टी बबली बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 233/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

थाना सिन्दुरिया द्वारा की गयी कार्यवाही-* 1. अभियुक्ता धीरेन्द्र पुत्र रामगोपाल निवासी पतरेंगवा टोला शीतलापुर थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज के कब्जे से 14 अदद देशी शराब बन्टी बबली बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 239/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

2. अभियुक्त शेषनाथ पुत्र सुभाष निवासी मुजहना बुजुर्ग थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज के कब्जे से 15 अदद देशी शराब बन्टी बबली बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 240/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

08. जनपद में 24/25-08-2024 को विभिन्न अपराधों में कुल- *45* अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।